

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 55/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल -खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक-
मै० सागर मसाला स्टोर, 427, विनोबा बस्ती नजदीक दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर जिला
श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51.52

निर्णय

दिनांक : 23.06.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

श्रीकंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2023 को बाद दोपहर 1.30 बजे का मै० सागर मसाला स्टोर, 427, विनोबा बस्ती नजदीक दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रैक पर रखे 250-250 ग्राम के 25 पोली पैक मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

डा. हरीतिमा
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) 250 ग्राम पोली पैक के 8 पोली पैक विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) का नगद भुगतान 260/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) 250 ग्राम पोली पैक के 8 पैकेटों में से 2-2 मूल पौलीपैक को जोड़कर 4 पैक में तैयार किये व 4 पैको पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1668 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1668 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जापे में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री विमन लाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, वीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, वीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./211/Act/2023/211 Dated 13-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1668 Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री विमन लाल मै0 सागर मसाला स्टोर, 427, विनोबा सबरती नजदीक दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 12.06.2023 को प्रस्तुत किया गया।

2023/06/12
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



खेजड़ली शहीद दिवस
बारावफात (चांद)
महात्मा गांधी
नवरात्र
महारा
दुर्गा
दि

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 35 वास्तुदेव नगर श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स सागर मसाला स्टोर, 427, विनोबा बस्ती नजदीक दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/941 दिनांक 14.06.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) की जांच की गई तो मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) Sub-standard Food & Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) का सैम्पल K-1623 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./211/Act/2023/211 Dated 13-03-2023 द्वारा Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 35 वास्तुदेव नगर श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स सागर मसाला स्टोर, 427, विनोबा बस्ती नजदीक दुर्गा मन्दिर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/941 दिनांक 14.06.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) की जांच की गई तो मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) Sub-standard Food & Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मेथी दाना पाउडर (सागर ब्राण्ड) में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

10/10
की.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।


इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Methi Dana Powder (Royal Sagar)" bearing Code No and Sr. No. K-1668, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011. The Sample is also Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000-00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में सुरेन्द्र कुमार जसुजा पुत्र श्री चिमन लाल खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
न्याय निष्पत्ति अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर।